



# उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

## Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission

- 1 -

पत्रांक /Ref. No.: 851

दिनांक /Date.: 3/11/20

### संवाद - 56

#### विषय- त्रुटिपूर्ण आवेदन भर दिये जाने के सम्बन्ध में।

वर्तमान में आयोग द्वारा सहायक अध्यापक (L.T) के पद हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है एवं आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने आवेदन पत्र भर दिये हैं व अब अनुरोध आयोग कार्यालय में प्राप्त हो रहे हैं कि उनके आवेदन पत्र में त्रुटियां हो गई हैं तथा वे इसका निराकारण कराना चाहते हैं। इनमें से कुछ मामलों में आरक्षण श्रेणी के परिवर्तन के भी मामले हैं।

इन अनुरोधों के सम्बन्ध में मैं आयोग की ओर से सभी अभ्यर्थियों से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आवेदन पत्र भरना, परीक्षा देने जितना ही महत्त्वपूर्ण कार्य है। आयोग के पिछले 5 वर्ष के अनुभव से ऐसे कई मामले आये हैं जिनमें अभ्यर्थी चयन सूची में स्थान पा गये किन्तु त्रुटिपूर्ण आवेदन के कारण अंत में अभ्यर्थन निरस्त होकर उन्हें चयन प्रक्रिया से बाहर होना पड़ा।

अभ्यर्थियों में एक भ्रांति यह हो सकती है कि आयोग के पास आवेदन पत्र हैं और अभ्यर्थियों के अनुरोध पर उनके द्वारा की गई गलतियों को आयोग ठीक कर सकता है। इस विषय पर मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आवेदन पत्र में विभिन्न प्रकार की प्रविष्टियाँ केवल अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय भरी जाती हैं। उसके उपरांत आयोग की ओर से इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। यह विधिक दृष्टि से एवं परीक्षा की शुचिता की दृष्टि से भी उचित नहीं है।

आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा दिये गये विवरण/डेटा के आधार पर ही प्रवेश पत्र जारी होता है व उसके बाद परिणाम तैयार करने में भी वही डेटा प्रयोग में लाया जाता है। अतः यदि एक सामान्य अभ्यर्थी ने अनुसूचित जाति को आवेदन में अंकित किया तो उसका परिणाम भी अनुसूचित जाति श्रेणी में आयेगा। ऐसी स्थितियों में आयोग के पास अभ्यर्थन निरस्त करने के अतिरिक्त कोई विकल्प शेष नहीं होता है।

अतः आवेदन पत्र यथा संभव स्वयं भरे यदि आप किसी का सहयोग भी ले रहे हैं तो शुल्क जमा करने के पूर्व आवेदन पत्र की प्रत्येक प्रविष्टि को भली प्रकार जांच लें क्योंकि शुल्क जमा होने के पूर्व तक इसे संशोधित करने (Edit) का विकल्प अभ्यर्थी के पास उपलब्ध रहता है। शुल्क जमा होने पर Submit करने के बाद आवेदन पत्र व उसका data freeze हो जाता है। अतः शुल्क जमा करने के पूर्व अत्यंत सावधानी से प्रत्येक प्रविष्टि को चेक करें।

उत्कृष्टता

धारदर्शिता

वस्तुनिष्ठता



# उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission


- 2 -

पत्रांक /Ref. No.: .....

दिनांक /Date.: .....

जिन अभ्यर्थियों का सहायक अध्यापक (L.T) का आवेदन पत्र शुल्क सहित सबमिट (Submit) हो गया है व वे अब इसे संशोधित करना चाहते हैं तो उनके पास एक ही विकल्प है कि वे अपने पूर्व में भरे आवेदन पत्र को निरस्त (Cancel) करें व फिर नये सिरे से आवेदन करें। स्वाभाविक रूप से उन्हें परीक्षा शुल्क फिर से देना होगा। यह विकल्प भी आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक ही उपलब्ध रहेगा उसके बाद यह विकल्प भी समाप्त हो जायेगा। अतः समय पर इस विकल्प का उपयोग कर लें।

भविष्य में आवेदन पत्र भरने में अत्यंत सावधानी बरतें। शुभकामनाओं के साथ।

  
(संतोष/बडोनी)  
सचिव।

उत्कृष्टता

पारदर्शिता

वस्तुनिष्ठता